माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

भोपाल दिनांक 01/10/2016

// विज्ञप्ति //

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप सत्र 2016-17 हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2016

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के माध्यम से महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली, सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम सत्र 2016-17 हेतु आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2016 से बढ़ाकर दिनांक 31 अक्टूबर 2016 कर दी गई है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2016 में उत्तीर्ण Top 20 percentile अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति हेतु एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2015 में उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थी छात्रवृत्ति के प्रथम नवीनीकरण हेतु National Scholarship Portal पर आवेदन केवल ऑनलाईन ही भरेंगे।

छात्रवृत्ति योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के कुल 4299 अभ्यार्थियों को चयनित किया जाना है, जिसमें से 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्राओं के लिए एवं 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्रों के लिए निर्धारित की गई हैं। उपरोक्त संख्या को 3:2:1 के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों में वितरण किया जावेगा, इनमें विज्ञान संकाय के 2150, वाणिज्य संकाय के 1433 एवं कला संकाय के 716 अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना है। इन अभ्यार्थियों में सभी वर्गो का कोटा आवंटित है। 15 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों, 7.5 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों, 27 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों एवं 3 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कोटा आवंटित है।

इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा सत्र 2015-16 में Top 20 percentile वाले ऐसे आवेदकों को पात्रता होगी, जो सत्र 2016-17 में नियमित रूप से किसी शासकीय अथवा अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स हेतु अध्ययनरत है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि Top 20 percentile अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो।

भारत शासन के निर्देशानुसार सत्र 2016-17 से छात्रवृत्ति हेतु हितग्राही विद्यार्थी का आधार नम्बर होना आवश्यक है एवं विद्यार्थी को अपने स्वयं के नाम का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलकर उसे आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है।

Online/offline आधार कार्ड संबंधी दिशा-निर्देश वेबसाईट http://www.aadharcarduidai.in/aadhar-card-apply-online-offline/ पर उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति संबंधी दिशा-निर्देश वेबसाईट http://www.scholarships.gov.in पर उपलब्ध है।

विद्यार्थी National Scholarship Portal पर छात्रवृत्ति हेतु Online आवेदन स्वयं करेंगे एवं आवेदन भरने के पश्चात पावती हेतु प्रिन्ट निकालकर अपने पास रखें एवं हार्डकॉपी अपने अध्ययनरत संस्थान की ओर भेजें।

उप सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

भोपाल